

प्रेस नोट थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर दिनांक 24.08.2025

01 नफर वांछित गैंगस्टर गिरफ्तार

अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गीडा के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष सहजनवा के नेतृत्व में उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 443/2026 धारा धारा 2(ख) की उपधारा (xi) (xvii) व धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम – 1986 से सम्बंधित अभियुक्त/गैंग लीडर राकेश यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम दनियाड़ी थाना तरयासूजान जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राकेश यादव पुत्र लल्लन यादव निवासी ग्राम दनियाड़ी थाना तरयासूजान जनपद कुशीनगर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 443/2026 धारा धारा 2(ख) की उपधारा (xi) (xvii) व धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम – 1986 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 221/2024 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशू क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म एक्ट सहजनवा गोरखपुर
2. मु0अ0सं0 298/2023 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशू क्रूरता अधि0 थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
3. मु0अ0सं0 137/2023 धारा 3/5क/5बी गोवध निवारण अधि0 व 11 पशू क्रूरता अधि0 व 307 भादवि थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
4. मु0अ0सं0 0061/2022 धारा 3/ 5क/ 5बी गोवध निवारण अधि0 थाना तमकुहीराज जनपद कुशीनगर
5. मु0अ0सं0 122/2024 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर
6. मु0अ0सं0 385/2022 धारा 3/5/8 गो0 वध निवारण अधि0 थाना तरयासूजान जनपद कुशीनगर
7. मु0अ0सं0 443/26 धारा 2(ख) की उपधारा (xi) (xvii) व धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम - 1986 थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. थानाध्यक्ष संजय कुमार मिश्रा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 धीतेन्द्र सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. का0 विकास यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. का0 सुभम सिंह, थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
5. का0 संग्राम सिंह, थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
6. का0 संजय यादव थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर